न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री के.आर. चौहान, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 222/2019

वादी :– सुण्डाराम पुत्र श्री भीकाराम, जाति तेली, निवासी मेड़तासिटी, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. भीकाराम पुत्र श्री छोगाराम
2. गोपाल पुत्र श्री भीकाराम
3. विष्णु पुत्र श्री भीकाराम
4. रामेश्वरी पुत्री श्री भीकाराम
5. संतोष पुत्र श्री भीकाराम
6. सुरेश पुत्र श्री बाबुलाल
7. इन्दु पत्नी श्री बाबुलाल

   सभी जाति तेली, निवासीगण मेड़तासिटी

   तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
8. तहसीलदार, मेड़ता।
9. पटवारी हल्का, मेड़ता।

दावा घोषणा खातेदारी, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 26/11/19

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी श्री श्यामलाल मेहरिया ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 सगे भाई–बहन है तथा प्रतिवादी संख्या 1 इनके पिता है। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 वादी के भतीजा व भाभी है। सभी एक ही सजरा खानदान के सदस्य है। सभी स्व. श्री छोगाराम जी के वारिसान है। सभी हिन्दू है व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से गर्वन होते है। मौजा मेड़ता की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 540 रकबा 3.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 839 रकबा 3.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 844 रकबा 0.10 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 454 रकबा 0.43 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 455 रकबा 1.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 456 रकबा 1.81 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 463 रकबा 2.94 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 422 रकबा 1.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 423 रकबा 0.20 हैक्टेयर तथा मौजा लांछ की ढाणी की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 102 रकबा 2.06 हैक्टेयर की जमीन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पूर्वज छोगाराम की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद आयी हुई थी। छोगाराम के स्वर्गवास के बाद उक्त खसरान की जमीन वादी व प्रतिवादीगण को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। मौजा मेड़ता के खसरा नम्बर 422 रकबा 1.44 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 423 रकबा 0.20 हैक्टेयर भूमि वादी के दादा छोगाराम की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। उन्होने अपने जीवनकाल में ही बंटवाड़ा कर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के बंट की होने से उनके नाम खातेदारी करवा दी। जमाबंदी की नकल साथ में पेश है। वादग्रस्त खसरान की भूमि का मौके पर तो वादी व प्रतिवादीगण ने आपस में आज से करीब 3 वर्ष पूर्व बंटवाड़ा कर लिया है और बंटवाड़ा के अनुसार ही सीवें व माठे कायम कर ली गई मगर

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

अभी तक विधिवत बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स नही हुआ है। जिससे वादी अपने बंटसुदा भूमि का विधिवत बंटवाडा करवाकर राजस्व रेकर्ड में अलग से खातेदारी का इन्द्राज करवाना चाहता है। जिससे वादी यह बंटवाड़ा का वाद पेश कर रहा है। बंटवाड़ा अर्जीदावा के पैरा संख्या 4 में वर्णितानुसार है। प्रतिवादी संख्या 1 काफी वृद्ध हो चुके है तथा काश्त करने में असमर्थ है। जिससे मौका अनुसार जिससे उन्होने अपने बंट की एवज में भरण–पोषण प्राप्त कर ली है तथा वादी व प्रतिवादीगण के साथ रही रहते है जिससे खातेदारी भूमि अपने बंट में नही रखी तथा अपना सम्पूर्ण खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 3 के पक्ष में हक तर्क कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने हिस्से की भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को तर्क कर दिया है तथा अपने बंट की एवज में नगदी व गहने प्राप्त कर लिये है व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के बंट में अन्य खसरान की जमीन बंट में होने व पूर्व में ही इनके नाम होने से इनको वादग्रस्त खसरान की भूमि में से कुछ भी बंट में नही रखा। उपरोक्त बंटवाड़ा के अनुसार मौके पर तो शांपिपूर्वक काश्त व काबिज ले आ रहे है मगर राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम होने से वादी सरकारी योजना व अपने सुदा भूमि को विकसित करने के लिये किसी बैंक अथवा संस्था से ऋण लेकर अपनी भूमि को ओर अधिक उपजाऊ बनाना चाहता है। जिससे वादी यह वाद पेश कर रहा है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच मौके पर तो बंटवाड़ा हो रखा है। मगर राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम खातेदारी का इन्द्राज होने से प्रतिवादी संख्या 1 खातेदारी की आड़ में किसी अन्यों को बैचान व हस्तान्तरण करने पर आमादा है तथा वादी के काश्त व कब्जे में दखलअंदाजी करने पर आमादा है जबकि उनको ऐसा करने का कोई

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

हक व अधिकार नही है। जिससे वादी अपनी बंटसुदा जमीन में प्रतिवादीगण व अन्य किसी प्रकार की दखल व दस्तअंदाजी न तो स्वयं करे और ना ही किन्हीं अन्यों से करवावें। जिससे वादी यह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर रहा है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 10 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा मेड़ता की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074, खाता संख्या 912, 913 व 1651 एवं मौजा लांछ की ढाणी की जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075, खाता संख्या 186, मौजा मेड़ता की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2076, खाता संख्या 1254, नक्शा ट्रेस, मौजा मेड़ता की जमाबंदी सम्वत् 2021 से 2024, खाता संख्या 807 व जमाबंदी सम्वत् 2032 से 2034 एवं खाता संख्या 312 व मिलान क्षेत्रफल की प्रतियां पेश की।
3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से वकील श्री अब्दुल कादिर खां ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने राजीनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 4 से 6 के शपथपत्र पेश किये। प्रतिवादी संख्या 8 व 9 बाजवूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से दिनांक 19.09.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी है।
4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

—: आदेश :—

6. (क) **वादी के बंट में :—** मौजा मेड़ता की सरहद के खसरा नम्बर 463 रकबा 2.94 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 422 रकबा 1.44 हैक्टेयर में से मध्य भाग का रकबा 0.45 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 423 रकबा 0.20 हैक्टेयर में से रकबा मध्य भाग का 0.06 हैक्टेयर व मौजा लांछ की ढाणी की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 102 रकबा 2.06 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

(ख) **प्रतिवादी संख्या 2 गोपाल के बंट में :—** मौजा मेड़ता की सरहद के खसरा नम्बर 540 रकबा 3.04 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 454 रकबा 0.43 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 455 रकबा 1.39 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 422 रकबा 1.44 हैक्टेयर में से रकबा 0.54 हैक्टेयर दक्षिणी तरफ की व खसरा नम्बर 423 रकबा 0.20 हैक्टेयर में से रकबा 0.08 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा की भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

(ग) **प्रतिवादी संख्या 3 विष्णु के बंट में :—** मौजा मेड़ता की सरहद के खसरा नम्बर 839 रकबा 3.15 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 844 रकबा 0.10 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 456 रकबा 1.81 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 422 रकबा 1.44 हैक्टेयर में से 0.45 हैक्टेयर उत्तरी तरफ, खसरा नम्बर 423 रकबा 0.20 हैक्टेयर में से उत्तरी तरफ की रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

7. प्रतिवादी संख्या 1 व 4 से 6 ने अपने हक की भूमि का हक तर्क वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में कर दिया है। जिससे हक

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

तर्क व बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/11/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

के.आर. चौहान

(उपखण्ड अधिकारी)

मेड़ता

मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Kashi Ram Chauhan
Date: 2019.12.20 11:25:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: